Bihar Foundation

A registered society under Department of Industries, Govt. of Bihar

6th Floor, Indira Bhawan, RCS Path, Patna – 800001

Notice inviting Quotation

In compliance to the directive issued by Hon'ble CM, Bihar vide letter 471170 dated 28th March, 2020 (copy attached), Bihar Foundation has actively taken up the responsibility to provide relief support in the form of food and shelter to stranded Biharis amid COVID 19 lockdown with the help of its chapters in different parts of the country.

To better facilitate this relief support, Bihar Foundation is seeking to engage a 35-seater Helpline service from experienced and competent agencies for a period of 15 days. This helpline shall work in 2 shifts of 6 hours each. Interested firms may submit their quotation in sealed envelopes in the office of Bihar Foundation latest by 4th April, 2020 by 2:00 pm. All received quotations shall be opened on the same day at 3:00 pm in the presence of Purchase committee, chaired by Officer on Special Duty.

Terms & Conditions:

1. Prices should be quoted in INR with GST.
2. Quotation must be provided in the letter-head of the interested agency.
3. The agency must have valid GST number to be provided in quotation.
4. Agency shall be selected based upon the lowest prices quotation (L1)
5. Payment shall be made against the bill produced by the selected agency.
6. The undersigned reserves the right of partial/complete rejection of any quotation.

Sd/-

(Ashok Kumar Sinha)
Officer on Special Duty
Bihar Foundation, Patna

Memo No: 54/B.F. **Patna** **Dated:** 30.03.2020

Copy to: CEO, Bihar Foundation & MD, Webx99 for publishing in website.

30/3/2020

(Ashok Kumar Sinha)
Officer on Special Duty
Bihar Foundation, Patna

चंचल कुमार
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव

मुख्यमंत्री सचिवालय
बिहार, पटना

पत्रांक :– .... मु0मं0स0, पटना

दिनांक : 28/03/2020

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार फाउन्डेशन,बिहार, पटना।

विषयः– **कोरोना बीमारी के कारण किये गये राष्ट्रीय लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों एवं लोगों को रहने और खाने की मदद देने के संबंध में।**

महाशय,

कोरोना वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इससे दूसरे राज्यों के विभिन्न शहरों में बिहार के मजदूर एवं व्यक्ति फंसे हुए हैं। सभी राज्य सरकारों से पूर्व में ही अनुरोध किया गया है कि उनके राज्य में बिहार के मजदूरों एवं व्यक्तियों के लिए खाने एवं आवासन की व्यवस्था की जाए और इस खर्च का वहन मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से किया जाएगा। अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने हेतु बिहार के स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली कार्यालय, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में कंट्रोल रूम एवं हेल्प लाईन की व्यवस्था की गयी है।

परन्तु अभी भी कई राज्यों में फंसे हुए लोगों से इस कार्यालय को त्राहिमाम संदेश प्राप्त हो रहा है। कई राज्य सरकारों द्वारा लोगों के लिए आवासन/खाने की व्यवस्था की गयी है। फिर भी संभव है कि कुछ स्थानों पर वैश्विक महामारी की विशेष परिस्थिति के कारण कुछ लोगों को खाने एवं रहने की समस्या हो रही है। इस स्थिति में जहां आवश्यक हो, वहां बिहार फाउन्डेशन द्वारा इनके लिए खाने एवं रहने की व्यवस्था की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बिहार फाउन्डेशन द्वारा अन्य राज्यों में बिहार के फंसे हुए मजदूरों एवं व्यक्तियों के लिए खाने एवं आवासन की व्यवस्था की जाए। खर्च का वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। इस संबंध में बिहार फाउन्डेशन द्वारा संबंधित स्थानीय प्रशासन से आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि बिहार फाउन्डेशन भी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए खाने एवं आवासन की व्यवस्था करे और इसकी सूचना स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के साथ–साथ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को दी जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(चंचल कुमार)

ज्ञापांक ....471/70... मु0मं0स0, पटना

दिनांक 28/03/2020

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चंचल कुमार) 28/03/2020